प्रति,

श्री मोहन भागवतजी
सरसंघचालक
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
नागपुर, महाराष्ट्र
पड़ाव–सागर, मध्यप्रदेश

स्थान – सागर
दिनांक – 17-01-2015
पत्र क्रमांक – गाय/108/17

विषय – 'गाय' को 'राष्ट्रीय पशु' का दर्जा दिलाए जाने के संबंध में।

मान्यवर,

भारतीय संस्कृति में जीवदया, अहिंसा, प्राणिमैत्री एवं परोपकार जैसे सद्गुणों एवं उदात्त मूल्यों को सर्वोच्च वरीयता दी जाती हैं। इसी कारण से पशुधन के बीच 'गाय' (Cow, Scientific name–Bos Taurus/Bos Indicus) का महत्व, उपयोगिता को साहित्य और संस्कृति में सदा ही उच्चतम आदर्श मूल्यों के कारण लोकप्रसिद्धि प्राप्त है। गाय से प्राप्त पंचगव्यों के प्रयोग से जहाँ प्राणियों को शारीरिक आरोग्यता एवं पुष्टि प्राप्त होती है, वहीं प्रकृति एवं पर्यावरण की सुरक्षा के लिये निरापद साधन भी उपलब्ध होते हैं। इसी कारण भारत में गाय को 'गौमाता' कहकर जन्मदाता 'माँ' जैसा श्रेष्ठ दर्जा/स्थान भी प्रदान किया जाता है। अतएव माननीय महोदय से अनुरोध है कि गाय के प्रदेय को रेखांकित करते हुए गाय को 'राष्ट्रीय पशु' के रूप में स्थापित किए जाने हेतु संवैधानिक प्रक्रिया करके अधिसूचित किया जाए।

ध्यान देने योग्य तथ्य है कि राजस्थान सरकार के पशुपालन विभाग के उप–सचिव एन. एल. गुप्ता के हस्ताक्षर से अधिसूचना क्र. म 4 (3)पपा/2014, जयपुर, दिनांक 16 सितम्बर, 2014 को निर्गमित की गई थी। 'राजस्थान का राज्य पशु' विषयक इस नवीन निर्देश में निम्न उल्लेख किया गया है–

''राज्यपाल महोदय ''चिंकारा'' (CHINKARA) (gazella bennettii) के साथ–साथ ''ऊँट'' (Camel) (Camelus dromedarius) को भी सहर्ष ''राजस्थान का राज्य पशु' घोषित करते हैं।''

इस अधिसूचना से सुस्पष्ट है कि राजस्थान सरकार ने पूर्व में निर्धारित राज्य पशु 'चिंकारा' के साथ–साथ अब ''ऊँट'' को भी राज्य पशु के रूप में घोषित कर दिया है। इस प्रकार राजस्थान प्रदेश में अब दो प्राणी 'राज्य पशु' के दर्जे से अभिमण्डित हो गए हैं।

भारत सरकार से देश भर के नागरिक अनुरोध करते हैं कि वह अपने अधिकार के तहत 'गाय' को स्वतंत्र रूप से 'राष्ट्रीय पशु' का दर्जा प्रदान करे। कदाचित्, यदि ऐसा कर पाना संवैधानिक दृष्टि से संभव नहीं हो, तो राजस्थान सरकार के द्वारा निर्गमित उपरिलिखित अधिसूचना के अनुरूप ही वर्तमान में निर्धारित 'राष्ट्रीय पशु' के साथ ही गाय को भी 'राष्ट्रीय पशु' का दर्जा दिया जाना तो सुनिर्धारित किया ही जा सकता है।

आशा है आप इस विषय कि महत्ता को दृष्टि में रखकर त्वरित गति से कार्रवाई सुनिश्चित कराकर गाय को उसके वास्तविक गौरवपूर्ण स्थान/दर्जा दिलाने में अवश्य ही सहभागिता प्रदान करेंगे। आपके द्वारा इस विषय में की/कराई गई कार्रवाई की एक प्रति हमें भी उपलब्ध हो सके, ऐसी आपसे महती आपेक्षा करते हैं। सादर।

संलग्न – राजस्थान सरकार की उपरिलिखित अधिसूचना की प्रति।

भवदीय

योगेश जैन

राजस्थान सरकार
पशुपालन विभाग

क्रमांक [illegible] 2014 — जयपुर, दिनांक 16 SEP 2014.

अधिसूचना

विषय :- "राजस्थान का राज्य पशु"

[illegible] "चिंकारा" (CHINKARA) (Gazella bennettii) के [illegible] (Camel) (Camelus dromedarius) को भी [illegible] राजस्थान [illegible] पशु" घोषित करते हैं।

[illegible]

शासन उप सचिव

[illegible] सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible] पशुपालन [illegible] विभाग
4. [illegible] मुख्य सचिव, राजस्थान
5. [illegible] पशुपालन विभाग
6. [illegible] पशुपालन विभाग
7. [illegible] विभाग, राजस्थान
8. [illegible] आयुक्त / जिला कलेक्टर / पुलिस अधीक्षक, राजस्थान
9. [illegible] जयपुर
10. [illegible] विभाग राजस्थान जयपुर
11. [illegible]
12. [illegible] जयपुर
13. [illegible] राजस्थान [illegible] बोर्ड, जयपुर
14. [illegible]
15. [illegible] अधिसूचना को [illegible] राजपत्र में प्रकाशित [illegible] की प्रति [illegible]
16. रक्षित पत्रावली

शासन उप सचिव

10/22/2014 2:19 P